राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 1, बुधवार, शाके 1934–मार्च 21, 2012
Chaitra 1, Wednesday, Saka 1934–March 21, 2012

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2012

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2008:– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय–समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोडे जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 14 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 97 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 97ए तथा 97बी एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोडी जायेगी, अर्थात् :–

		97ए	धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण	धरोहर राशि देय अवधि के पश्चात् संवेदन से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की 90 दिवस की अवधि में	आवासीय अभियंता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	–
		97बी	मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन की सक्षम स्वीकृति	कार्य पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में	आवासीय अभियंता	लेखाकार	उप आवासन आयुक्त	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	–

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. आर.पी.जैन
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोटः– कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 14 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 97 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् नई क्रम संख्या 97 ए तथा 97 बी एवं उनकी प्रविष्टियां जोडी गई।